कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी संतकबीरनगर।

पत्रांक 187 /सा0प्र0/स0सु0/2020 दिनांक 17.06.2020

अधिसूचना

चूँकि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा– 112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है,

और जहां उक्त अधिनियम की धारा– 112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकारी प्रदत्त किया गया है,

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम– 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संतकबीरनगर जनपद से होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ गोरखपुर एन0एच0–28	टेमी नदी से आमी नदी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	खलीलाबाद सुगर मिल परसपुर गोरयाभार मार्ग अन्य जिला मार्ग	खलीलाबाद सुगर मिल से परसपुर गोरयाभार तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	सेमरियांवा पिपरा मार्ग अन्य जिला मार्ग	सेमरियांवा से पिपरा तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	चुरेब कौवाटांड से दुधारा मार्ग अन्य जिला मार्ग	चुरेब कौवाटांड से दुधारा तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	लोहरौली से जगत दशहर मार्ग अन्य जिला मार्ग	लोहरौली से जगत दशहर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6	बनकटियाँ पंचपोखरी मार्ग अन्य जिला मार्ग	बनकटियाँ तक पंचपोखरी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

7	जगदीशपुर टेमा से मरियॉवा मार्ग अन्य जिला मार्ग	जगदीशपुर टेमा से सेमरियॉवा तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8	राम जानकी मार्ग एन0एच 227	राम जानकी पर पौली से बॅसवारी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9	खलीलाबाद मुखलिसपुर गागरगढ़ मार्ग प्रमुख जिला मार्ग	खलीलाबाद वाया मुखलिसपुर से गागरगढ़ तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10	महसो महुली मार्ग प्रमुख जिला मार्ग	पलहाजीत मिलकी से मौली तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11	बस्ती मेंहदावल कप्तानगंज मार्ग एन0एच0 328	भाटपार से करमैनी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12	खलीलाबाद बखिरा नन्दौर मार्ग एन0एच 328 ए	खलीलाबाद वाया बखिरा नन्दौर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13	बॉसी नन्दौर मार्ग राज्य मार्ग 88	नन्दौर से से बेलौहॉ तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14	मेंहदावल रूधौली डुमरियागंज मार्ग प्रमुख जिला मार्ग	डणवॉ से मेंहदावल तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
15	बी0एम0सी0टी0 से भिटियॉ बाजार सॉगठ हर्दी सिहटीकर होते हुए बौरब्यास मार्ग अन्य जिला मार्ग	बी0एम0सी0टी0 से बौरब्यास तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
16	राजेडीहा बौरब्यास हरैया मुसहरा होते हुए बी0एम0सी0टी0 मार्ग किमी0 46 तक अन्य जिला मार्ग	राजेडीहा हरैयो बौरब्यास मुसहरा होते हुए बी0एम0सी0टी0 किमी0 46 तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
17	मेंहदावल लोहरसन मार्ग किमी0 4 (समदा चौराहा) से प्रतापपुर परसा शुकुल होते हुए लेडवा निघुरी राजेडीहा मार्ग अन्य जिला मार्ग	मेंहदावल से लोहरसन वाया समदा तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
18	बॉसी नन्दौर (बेलौहा) अतरी नानकार मार्ग अन्य जिला मार्ग	बलौहा से नन्दौर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
19	टड़वरिया समोगर से मेंहदूपार मार्ग अन्य जिला मार्ग	टड़वरिया समोगर से मेंहदूपार तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
20	मुहिया पुल से घुरापाली मार्ग अन्य जिला मार्ग	मुहिया पुल से घुरापाली तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
21	बखिरा सहजनवा मार्ग अन्य जिला मार्ग	बखिरा से डेवडिह तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
22	बघौली बंजरिया मार्ग अन्य जिला मार्ग	बघौली से बंजरिया तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

23	बस्ती महसो महुली अली नगर मार्ग अन्य जिला मार्ग	महुली से अली नगर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 166 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन।

ब) एम्बुलेंस।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा– 112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से

(आन्जनेय सिंह)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।
4. पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर।
5. निदेशक, छपाइ एवं मुद्रण सामग्री राजकीय प्रेसि, ऐंशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिकसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग संतकबीरनगर।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), बस्ती उ0प्र0।

17/06/2020

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, संतकबीरनगर।